भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3107

06 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

अमृत योजना के तहत केरल को वित्तीय, तकनीकी और संभार सहायता

†3107. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अटल मिशन फॉर रीजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत) के तहत शहरी स्वच्छता और पेयजल अवसंरचना को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा केरल को प्रदान की गई वित्तीय, तकनीकी और संभार सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या मानसून के आगमन से पहले नगरपालिका जल आपूर्ति की नियमित जाँच, सेप्टिक टैंक सुरक्षा और जल निकासी की गाद निकालने सहित निवारक उपायों के संबंध में राज्य के शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) को कोई विशिष्ट परामर्श या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) वर्ष 2015 में शुरू किया गया अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) देश भर के चुनिंदा 500 शहरों और कस्बों में जल आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन आदि के क्षेत्रों में आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर केंद्रित था। कवरेज का विस्तार करने के लिए, अमृत 2.0 को वर्ष 2021 में सभी शहरी स्थानीय निकायों/शहरों में शुरू किया गया था, जिससे शहरों को 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बनने में मदद मिली। 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना अमृत 2.0 के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक है। मिशन के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजनाओं का चयन, मूल्यांकन, प्राथमिकता निर्धारण और कार्यान्वयन करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

अमृत के तहत, केरल राज्य को परियोजनाओं के लिए कुल 1153.08 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिनमें से पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2023-24 से 2025-26) के दौरान 207.23 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। राज्य ने जल आपूर्ति क्षेत्र में 1532.51 करोड़ रुपये की 224 परियोजनाएं और सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन क्षेत्र में 382.84 करोड़ रुपये की 150 परियोजनाएं शुरू की हैं।

अमृत 2.0 के तहत, अब एसएनए स्पर्श प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्यों को निधियां जारी की जाती हैं, जिसमें राज्यों को मूल स्वीकृति दी जाती है और धन के वास्तविक समय में उपयोग का आकलन किया जाता है। अमृत 2.0 के तहत, केरल राज्य के लिए कुल केंद्रीय आवंटन पूरी मिशन अवधि हेतु परियोजनाओं के लिए 1374 करोड़ रुपये है, जिसमें से 09.07.2026 तक 420.04 करोड़ रुपये जारी/स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 171.3 करोड़ रुपये पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2023-24 से 2025-26) में जारी/स्वीकृत किए गए हैं। राज्य ने जल आपूर्ति क्षेत्र में 2378.72 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत के साथ 243 परियोजनाएं और सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन क्षेत्र में 1184.08 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत के साथ 41 परियोजनाएं शुरू की हैं।

राज्य को परियोजनाओं के लिए निधि जारी करने/स्वीकृत करने के अलावा, अमृत 2.0 के तहत पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2023-24 से 2025-26) में राज्य के प्रशासनिक और अन्य व्यय (ए एंड ओई) के लिए 8.04 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है/स्वीकृत की गई है, जिसमें राज्य स्तरीय परियोजना विकास और प्रबंधन परामर्शदाताओं और क्षमता निर्माण के लिए सहायता, सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) के लिए 1.85 करोड़ रुपये, अमृत मित्र परियोजनाओं (महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी की परियोजनाओं) के लिए 9.89 करोड़ रुपये, जल ही अमृत के तहत प्रोत्साहन के रूप में 5.25 करोड़ रुपये, परिणाम आधारित प्रोत्साहन के रूप में 10 करोड़ रुपये और अमृत शहरों/द्वितीय श्रेणी के शहरों के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित मास्टर प्लान तैयार करने के लिए 7.06 करोड़ रुपये शामिल हैं।

(ख) जल राज्य का विषय है और शहरी क्षेत्रों में लागू मानकों के अनुसार जल का प्रबंधन और गुणवत्ता बनाए रखना राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की जिम्मेदारी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने मार्च 2024 में जल आपूर्ति और शोधन प्रणालियों (नल से पेय) पर नियमावली प्रकाशित की है। राज्यों/ यूएलबी द्वारा जल आपूर्ति परियोजनाओं के डिजाइन, कार्यान्वयन, पेयजल गुणवत्ता और निगरानी के लिए इसका संदर्भ लिया जा सकता है। नियमावली के भाग क, अध्याय 7 में जल गुणवत्ता परीक्षण और प्रयोगशाला सुविधाएं विनिर्दिष्ट हैं (https://www.mohua.gov.in/static/uploads/2025/10/0eb252b5d7932a03e97fc364f9a503f3.pdf) नियमावली के भाग ख, अध्याय 8 में पेयजल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं https://www.mohua.gov.in/static/uploads/2025/10/1086f3271a4a4ff64a70e79669ee4f2b.pdf).

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने नवंबर, 2024 में अमृत 2.0 के तहत "सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से शहरों में जल गुणवत्ता निगरानी को मजबूत करना" शीर्षक से एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सभी राज्यों को राज्य या शहर स्तर पर जल गुणवत्ता निगरानी कार्यनीति तैयार करने और सार्वजनिक सूचना और जागरूकता हेतु जल गुणवत्ता मापदंडों के लिए डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में पेयजल की गुणवत्ता की शहरव्यापी निगरानी के लिए संस्थागत क्षमता को मजबूत करने का निर्देश दिया गया है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने वर्षा जल निकासी प्रणाली पर नियमावली भी प्रकाशित की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ गाद निकालने सहित नालों के अनुरक्षण के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देशों का प्रावधान है। (https://www.mohua.gov.in/static/uploads/2025/10/9cd8cbff97a56c6ecf002bba6f8b226c.pdf)
